निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्र संख्या– 1078 /बा0वि0परि0/पो0 एवं स्वा0/2022–23, दिनांक–25 नवम्बर, 2022

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,

उत्तर प्रदेश।

aanganwadiuttarpradesh.com

विषय– अनुपूरक पोषाहार खाद्य सामग्रियों का आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दीवार लेखन कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या–967–76/बा0वि0परि0/पो0एवंस्वा0 /2021–22, दिनांक 19 जुलाई, 2021 का संदर्भ लेना चाहें, जिसके द्वारा प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार के उत्पादन एवं आपूर्ति की प्रकिया हेतु विस्तृत प्रकिया (एसओपी) निर्गत की गयी है। उक्त मानक संचालन प्रकिया में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार उत्पादन इकाई को स्थापित किये जाने में समय लगने के दृष्टिगत अंतराल में नैफेड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में परियोजना कार्यालयों व शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति की जा रही है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार के संबंध में जन सामान्य को जानकारी हेतु अनुपूरक पुष्टाहार सामग्रियों का प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर दीवार लेखन कराया जाना है। उक्त दीवार लेखन का कार्य पूर्णतया विकेन्द्रीकृत प्रणाली से आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा कराया जाय । दीवार लेखन का कार्य निम्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराया जायेगा–

1–अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों के दीवार लेखन हेतु धनराशि (प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र अधिकतम रू0 400 की सीमा तक) की प्रतिपूर्ति हेतु बजट अलग से प्रेषित किया जायेगा।

2–दीवार लेखन संलग्न नमूने के अनुसार कराया जायेगा।

3–जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रेसिपी बेस्ड अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति प्राप्त हो रही है, उनके लिए प्रारूप–1 तथा जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नैफेड द्वारा आपूर्तित सामग्री प्राप्त हो रही है, उनके लिये प्रारूप–2 के अनुसार दीवार लेखन कराया जायेगा।

4–आंगनबाड़ी केन्द्र पर सामने की ओर ऐसे स्थान पर लेखन कराया जायेगा, जिसे अधिक से अधिक जनसामन्य लोगों द्वारा पढ़ा जा सके।

5–दीवार लेखन प्लेन पक्की दीवार पर कराया जायेगा।

6–दीवार लेखन का साइज 3 फीट × 3 फीट होगा।

7–दीवार लेखन का बेस पीला रंग का होगा एवं संलग्न डिजायन के अनुसार तीन रंगो में करायी जायेगी। पेंट की क्वालिटी वाटरप्रूफ/आयल बाउन्ड होगी।

8–दीवार लेखन से संबंधित समस्त बिल/बाउचर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से प्राप्त कर परियोजना कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगें।

9–दीवार लेखन कार्य का सत्यापन भी कराया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विवरण के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार खाद्य सामग्रियों का दीवार लेखन कार्य 15 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त,

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक।

24/11/22

पृष्ठांकन संख्या– /तददिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक।